



म.प्र. शासन, वन विभाग
म.प्र. राज्य बांस मिशन

ए-35, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, वन भवन, लिंक रोड
नं. 2, तुलसी नगर, भोपाल (मध्यप्रदेश)

(✉ Email-mpbamboomission@mp.gov.in,

☎ Phone: 0755-2555524)



मध्यप्रदेश में बांस आधारित उद्योग स्थापित करने की योजना

राष्ट्रीय बांस मिशन की Capital Investment Subsidy Scheme के अंतर्गत मध्यप्रदेश में बांस आधारित उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोजेक्ट प्रस्ताव आमंत्रित है। योजना के अंतर्गत अनुदान स्वीकृत व विमुक्त करने की प्रक्रिया, चिन्हित उद्योगों व उपलब्ध अनुदान की जानकारी बांस मिशन की वेबसाईट mpbamboomission.org या वन विभाग की वेबसाईट <https://www.mpforest.gov.in/> पर देखी जा सकती है। बैंक की सहमति के साथ प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर दिनांक 14 नवम्बर 2024 की जाती है।

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
एवं मिशन संचालक, म.प्र. राज्य बांस मिशन

म.प्र. राज्य बांस मिशन
राष्ट्रीय बांस मिशन की केपिटल सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत निजी क्षेत्र में
बांस उद्योग स्थापना हेतु लक्ष्य – वर्ष 2024-25

क्र.	उद्योग	प्रोजेक्ट कॉस्ट (रु. लाख में)	उपलब्ध यूनिट	अधिकतम सब्सिडी (प्रति इकाई) (रु. लाख में)	बैंक ऋण (रु. लाख में)	स्वयं का अंशदान (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	बांस के ट्रीटमेन्ट एवं सीजनिंग प्लान्ट की स्थापना	20.00	2	10.00	8.00	2.00
2	बांस प्रसंस्करण केन्द्र एवं मूल्य संवर्धन इकाई	30.00	2	15.00	12.00	3.00
3	प्राथमिक बांस इकाई में बांस कचड़ा प्रबंधन	25.00	2	12.50	10.00	2.50
4	बांस हस्तशिल्प/कॉटेज इन्डस्ट्रीज	15.00	2	7.50	6.00	1.50
5	हाईटेक नर्सरी	50.00	1	25.00	20.00	5.00
6	बिग नर्सरी	16.00	1	8.00	6.40	1.60

टीप:-

- वर्ष 2024-25 के लिये उपलब्ध बजट की सीमा में ही प्रोजेक्ट्स स्वीकृत किये जा सकेंगे।
- यह बेक एण्डेड सब्सिडी स्कीम है। अतः बैंक के माध्यम से ही स्वीकृत की जा सकती है। सब्सिडी सीधे प्रमोटर को देय नहीं है।
- योजना की जानकारी राष्ट्रीय बांस मिशन की वेबसाईट https://nbm.da.gov.in/Documents/Letters/Guidelines_for_Credit_Linked.pdf पर उपलब्ध है।